



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43559

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2937 वर्ष 2026

राम मोहन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: विजया शंकर शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजया शंकर शुक्ला और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1989 में 'मेथ' के रूप में नियुक्त किया गया था, और 22.12.2009 को उनकी सेवा नियमित कर दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद उन्हें अतिरिक्त वेतन-वृद्धि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम तीसरे प्रत्यर्थी, यानी अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी बरेली सर्किल, बरेली द्वारा किया जाना आवश्यक है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया है।

6. दोनों पक्षों के निवेदनों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करे। तीसरा प्रत्यर्थी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा। यदि तीसरे प्रत्यर्थी की यह राय बनती है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।

7. यह स्पष्ट करना अनावश्यक है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई विचार किया है।

8. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

25 फरवरी, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)